भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: मोहनलालगंज
3.	ग्राम	: [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	: भूमि खसरा संख्या-168
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.759 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
9.	बोरिंग/कुआँ/अन्य	: कुछ नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 59,90,295/-
11.	मालियत	: रू0 13,66,200/-
12.	स्टाम्प	: रू0 4,20,000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

खसरा नं0–168

पूरब	: खसरा संख्या 162
पश्चिम	: खसरा संख्या 173 व 171
उत्तर	: खसरा संख्या–170, 169 व 165
दक्षिण	: खसरा संख्या–167, 164, 175, 163

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–01	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
राम कुमार तिवारी पुत्र श्री कृष्ण तिवारी, निवासी–मावइकला, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, वर्तमान निवासी–155क, सराय माली खाँ, लखनऊ।	अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री नीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगा नाथ सिंह, वर्तमान पता–तृतीय तल, वाईएमसीए बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम कुमार तिवारी पुत्र श्री कृष्ण तिवारी, निवासी-माढ़रमऊ कला, परगना व तहसील -मोहनलालगंज, जिला- लखनऊ, वर्तमान निवासी-153क, सराय माली खाँ, लखनऊ, जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगा पाल सिंह, वर्तमान पता-तृतीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हाल, लाईटहमकरीना बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता खतौनी क्रम संख्या-00028, खसरा संख्या-168, रकबा 1.518 हेक्टेअर का 1/2 भाग रकबा 0.759 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- माकरमऊ कला, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, का मालिक, काबिज व काबिल है। उक्त आराजी रकबा 1.518

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हेक्टेयर को विक्रेता ने संयुक्त रूप से कु0 गीता तिवारी पुत्री श्रीकृष्ण तिवारी व शिव कुमार तिवारी पुत्र श्रीकृष्ण के साथ मिलकर बजरिये पंजीकृत विक्रय विलेख श्रीमती उमा वशिष्ठ पत्नी मेजर ललित मोहन वशिष्ठ व अमित वशिष्ठ पुत्र मेजर ललित मोहन वशिष्ठ से दिनांक 21.01.1994 को क्रय किया था, जिसमें विक्रेता का 1/2 हिस्सा रकबा 0.759 हेक्टेयर था तथा विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। अतः आराजी आज तक विक्रेता के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पूर्ण कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जिसे विक्रय व अन्तरण आदि करने का विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है।

विक्रेता उपरोक्त आराजी को पूर्ण होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त अपनी सम्पूर्ण भूमि का मालिक, काबिज व काबिल है एवं वर्तमान समय में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने कभी इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता को उक्त विलेख अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

अब फलस्वरूप सूद के विक्रेता ने रु0 59,99,895/- (रूपया उनसठ लाख निन्यानवे हजार आठ सौ पच्चानवे मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यही

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेगा एवं न ही कोई माँग कर सकेगा और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 MAR 20

स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम भावरमऊ कला, तहसील-मोहनलालगंज के 'अतिविशिष्ट ग्राम' के अन्तर्गत आता है, जिसका निर्धारित सर्किल रेट रू0 18,00,000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.759 हेक्टेयर की मालियत रू0 13,66,200/- होता है, भूमि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 4,20,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अवस्थान में कोई [illegible] नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- [illegible] -

जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

10000 रु. Rs.10000

INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

058670

शेड्यूल : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण।

भूमि खाता खतौनी क्रम संख्या-00028, खसरा संख्या-368, रकबा 1.518 हैक्टेअर का 1/2 भाग रकबा 0.759 हैक्टेअर, स्थित-ग्राम- भाखमऊ बक्शी, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

[illegible]

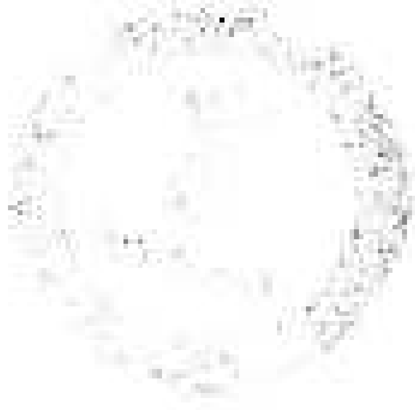

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

-5-

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. रू0 50,00,000/- (रूपया पचास लाख मात्र) कार्पोरेट चेक संख्या-293911 दिनांकित 29.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा [illegible], लखनऊ।

2. रू0 9,99,895/- (रूपया नौ लाख निन्यानबे हजार आठ सौ पचानबे मात्र) कार्पोरेट चेक संख्या-293912 दिनांकित 29.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-[illegible], लखनऊ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 59,99,895/- (रूपया उनसठ लाख निन्यानबे हजार आठ सौ पचानबे मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ
दिनांक : 29.03.2017
गवाह

मसौदाकर्ता

(राम सेवक)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षरी

(मोहम्मद इमरान)
एडवोकेट

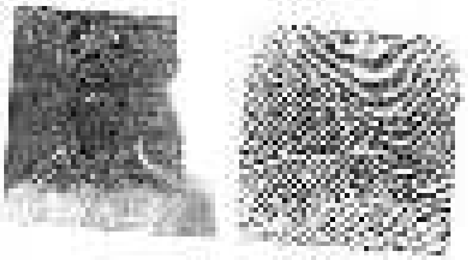

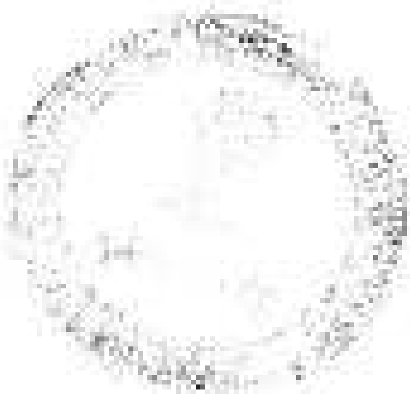

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता:- राम कुमार तिवारी पुत्र श्री [illegible] तिवारी, निवासी [illegible] [illegible], तहसील व [illegible] [illegible], जिला- लखनऊ, वर्तमान निवासी- 15/[illegible], [illegible] लखनऊ

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

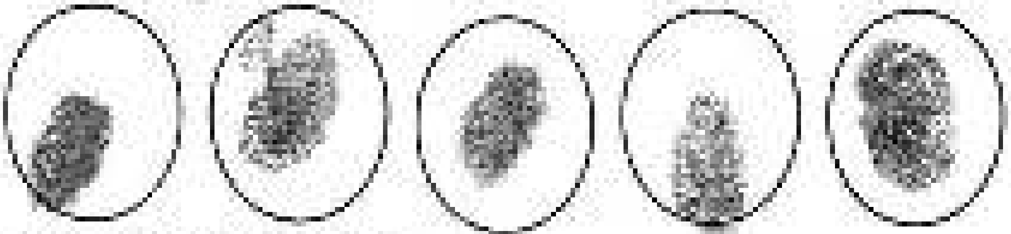

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

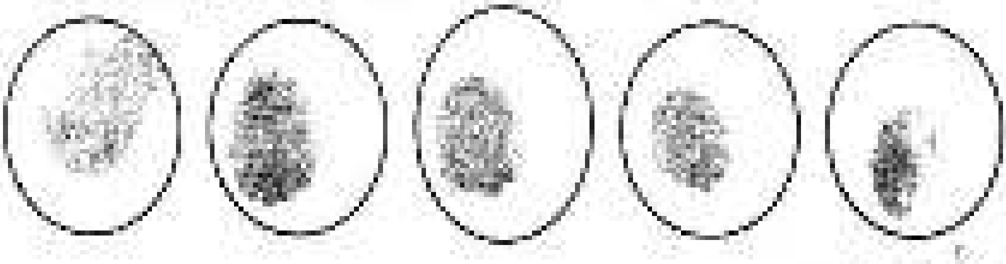

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

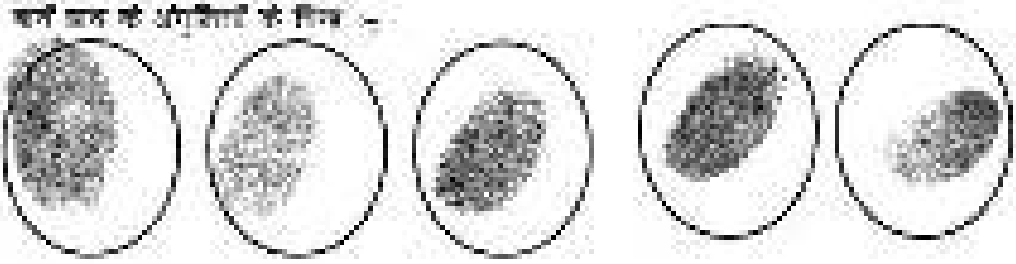

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

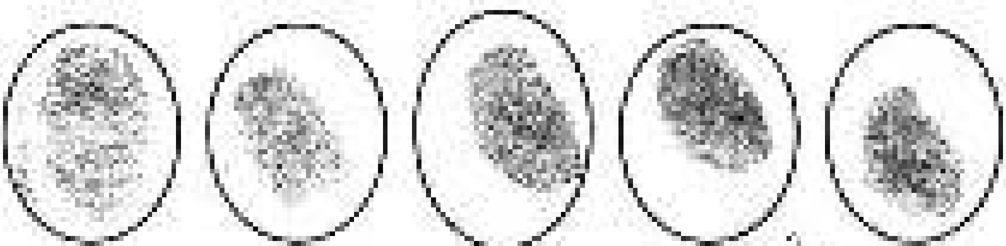

क्रेता के हस्ताक्षर

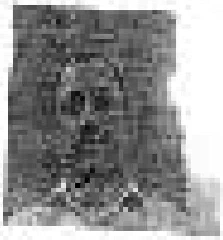

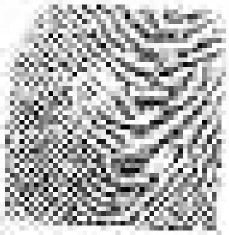

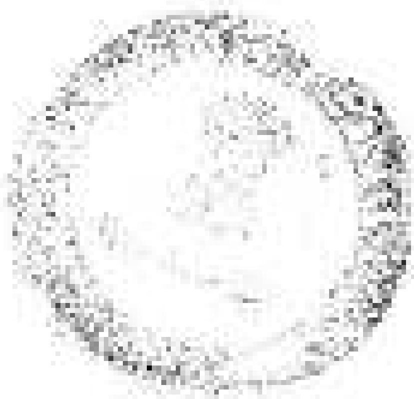

[illegible]

[illegible] 168

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 29/03/2011 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 2498

[illegible] 157 [illegible] 205 [illegible] 2187

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]